रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112023-250104
CG-DL-E-17112023-250104

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2023/कार्तिक 26, 1945
No. 290] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2023/KARTIKA 26, 1945

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2023

ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 48-19/2/2023-एनआरई.—ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिशानिर्देश 26 जुलाई 2023 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग 1, खंड 1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 27/02/2023-आरसीएम के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं।

2. केंद्र सरकार एतद्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2023 के उक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित करती है:

मौजूदा दिशानिर्देशों के खंड 14.4 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है,

खण्ड 14.4. विद्युत की आपूर्ति की शीघ्र शुरुआत: डब्ल्यूपीजी को पारेषण कनेक्टिविटी और दीर्घकालिक पहुंच (एलटीए)/सामान्य नेटवर्क पहुंच (जीएनए) की उपलब्धता के अधीन एससीएसडी से पहले भी परियोजना की पूर्ण और साथ ही आंशिक क्षमता से आपूर्ति शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। विद्युत आपूर्ति के समय से पहले प्रारंभ पूर्ण या आंशिक भाग के मामलों में, विकासकर्ता पूर्ण या आंशिक क्षमता के अग्रिम रूप से चालू होने के संबंध में अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों को पंद्रह (15) दिन का अग्रिम नोटिस देगा। अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार नोटिस के तामील होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर ऐसी विद्युत का लाभ उठाने के लिए स्वीकृति देंगे। यदि अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार, दोनों, विद्युत खरीदने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर

अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं, तो विकासकर्ता अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार द्वारा स्वीकार न की गई सीमा तक विद्युत को विद्युत एक्सचेंजों में या द्विपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से बेच सकता है।

परंतु यह कि यदि अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार दोनों विद्युत खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति देते हैं, तो अंतिम खरीददार (खरीददारों) को ऐसी विद्युत प्राप्त करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

परंतु यह भी कि ऐसे मामलों में अंतिम खरीददार (खरीददारों) और मध्यस्थ खरीददार द्वारा देय टैरिफ पीपीए टैरिफ के बराबर होगा।

हेमंत कुमार पाण्डेय, मुख्य अभियंता (आरएंडआर)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 17th November, 2023

Amendment to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement Power from Grid Connected Wind Power Projects

No. 48-19/2/2023-NRE.—The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Power from Grid Connected Wind Power Projects have been notified vide Resolution No.27/02/2023-RCM published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part1 - Section 1) on 26th July 2023.

2. The Central Government hereby notifies the following amendment in the said guidelines dated 26th July, 2023:-

Clause 14.4 of the existing guidelines is substituted with the following,

Clause 14.4. **Early Commencement of Supply of Power:** The WPG shall be permitted for commencement of supply from full as well as part capacity of the Project even prior to the SCSD subject to availability of transmission connectivity and Long-Term Access (LTA)/General Network Access (GNA). In cases of early part or full commencement of supply of power, the developer shall give fifteen (15) days advance notice to both End Procurer(s) and Intermediary Procurer regarding the advance commissioning of full or part capacity. The End Procurer(s) and Intermediary Procurer shall give acceptance for availing such power within 15 days from the date of service of notice. In case, both the End Procurer(s) and Intermediary Procurer do not give their acceptance to purchase power within the stipulated period, the developer can sell the power to the extent not accepted by the End Procurer(s) and Intermediary Procurer in the power exchanges or through bilateral arrangements.

Provided that in case both the End Procurer(s) and Intermediary Procurer give their acceptance to purchase the power, the End Procurer(s) will be accorded priority in availing such power.

Provided further that in such cases tariff payable by the End Procurer(s) and the Intermediary Procurer shall be equal to the PPA tariff.

HEMANT KUMAR PANDEY, Chief Engineer (R&R)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.17 20:47:05 +05'30'